

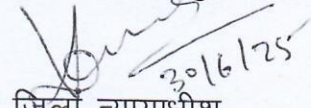
कार्यालय जनपद न्यायाधीश, पीलीभीत।

प्रशासनिक आदेश संख्या- 173/2025 दिनांक 30 जून, 2025

आदेश

इन्फ्रा0 समिति की ओर से आज दिनांक 30.06.2025 को यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया कि जिला न्यायालय में स्थित सदर हवालात में मरम्मत का सम्पूर्ण कार्य दिनांक 30.06.2025 तक पूर्ण किया जाना था परन्तु वह बारिस होने के कारण पूर्ण नहीं हो पाया है। अतः उक्त परिस्थिति में हवालात की छत का ब्रिकओवा का कार्य कराने के लिए 03 दिन का समय चाहा गया है।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व दिनांक 25.06.2025 को प्रशासनिक आदेश संख्या 167/2025 दिनांकित 25 जून, 2025 के माध्यम से यह आदेश पारित किया गया था कि हवालात की छत पर मरम्मत का कार्य चलते दिनांक 30.06.2025 तक न्यायालय में बन्दियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित करवाने के स्थान पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिमाण्ड आदि का कार्य करवाया जाये तथा किसी बन्दी को हवालात में छत की मरम्मत के दौरान न रखा जाये। परन्तु आज दिनांक 30.06.2025 को पुनः इन्फ्रा0 समिति की ओर से प्रार्थनापत्र दिया गया है कि बारिस होने से ब्रिकओवा का कार्य नियत तिथि 30.06.2025 तक पूर्ण नहीं हो पाया है। अतः कार्य करवाने हेतु 03 जुलाई तक का समय चाहा गया है। अतः उक्त परिस्थिति में उक्त प्रशासनिक आदेश दिनांकित 25.06.2025 के अनुक्रम में दिनांक 03.07.2025 तक न्यायालय में बन्दियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित करवाने के स्थान पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिमाण्ड आदि का कार्य करवाया जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी न्यायालय द्वारा विशेष रूप से किसी बन्दी को व्यक्तिगत रूप से तलब किया जाता है तो उसे न्यायालय के आदेशानुसार सम्बन्धित न्यायालय में प्रस्तुत किया जाये।


प्रभारी जिला न्यायाधीश,
पीलीभीत।
30.06.2025